आ रहे गांव का वर्तमान परिस्थितियों में अध्ययन कर सकें। इस सर्वेक्षण का यह लाभ होगा कि जो क्षेत्र पूर्व में डूब क्षेत्र में नोटिफाइड नहीं हो पाए हैं उन्हें नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिफाइड किया जा सकेगा। इस सर्वेक्षण के बाद वे विस्थापित अनुसूचित जनजाति जो आज तक विस्थापित होने का दावा कर रहे हैं उन्हें मुआवजा मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि उदाहरण के तौर पर यदि कोई विस्थापित परिवार 2 एकड़ भूमि के स्थान पर 3 एकड़ भूमि जोत रहा है तो उसे वर्तमान में काबिज भूमि का एवॉर्ड मिल जाएगा जिससे उसकी यह भूमि रिकॉर्ड में शामिल हो सकेगी। आयोग के इस सुझाव को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा मान लिया गया। श्री रजनीश वैश्य, प्र.स.रा.वि. ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि वे संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण शीघ्र करवाएंगे।

**8.3 कट ऑफ ईयर :–**

अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें यह शिकायत प्राप्त हुई है कि पहाड़ी क्षेत्र के लगभग सभी गांव के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 1993 है। अन्य स्थानों के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2001–04 के मध्य मध्य प्रदेश राज्य में भूमि अधिग्रहण हुआ है। वर्ष 1993 तथा वर्ष 2001–04 में विस्थापित परिवारों के वे पुत्र जो 18 साल की आयु प्राप्त नहीं कर सके थे वे अवयस्क घोषित किए गए। मुआवजा राशि कई वर्षो बाद प्राप्त हुई। अवयस्क पुत्र राशि मिलने के वर्ष तक वयस्क हो चुके थे तथा पुनर्स्थापना हेतु दिए जाने वाले मुआवजे के हकदार थे। राज्य शासन ने ऐसे अवयस्क आदिवासी विस्थापितों को मुआवजा नहीं दिया है। श्रीमती पंत निदेशक, न.घा.वि.प्रा. ने आयोग को आश्वासन दिया कि यदि इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है तो यह परिवार मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा गठित शिकायत निवारण प्राधिकरण में अपना प्रकरण दे सकते हैं जहां ऐसे प्रकरणों पर निर्णय लेकर उन्हें अवगत करा दिया जाएगा।

**8.4 मुआवजा राशि को दो या दो से अधिक किश्तों में दिए जाने का नियम :–**

अध्यक्ष महोदय ने राज्य शासन के अधिकारियों के समक्ष विस्थापितों की इस शिकायत का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विस्थापितों को भूमि खरीदने के लिए रु 5,50,000 दिए जाने का प्रावधान है जिसे दो या दो से अधिक किश्तों में दिया गया। पहली किश्त दो लाख रुपए दी गई जिससे सौदा करने के बाद विस्थापित को अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है। विस्थापित अनुसूचित जनजाति दो लाख रुपए में यदि भूमि खरीदने में अक्षम होता है तो उसे अतिरिक्त राशि भी प्राप्त नहीं होती। यदि एक मुश्त 5,50,000 रु दिए जाते तो विस्थापित अनुसूचित जनजाति भूमि का सौदा आसानी से कर सकता था। राज्य शासन ने आयोग को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने



रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

यह भी बताया कि इस प्रावधान के अंतर्गत ही बहुत सी शिकायतें बेनामी रजिस्ट्रियों की प्राप्त हुई हैं जो वर्तमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। वर्ष 2010 से इस प्रावधान को शिथिल कर पूरा पैसा एक मुश्त दिया जाना आरंभ किया गया है।

**8.5 भूमि के बदले अनिवार्यतः भूमि दिए जाने के विषय में :–**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन को बताया कि उन्हें यह शिकायत मिली है कि विस्थापित अनुसूचित जनजाति परिवारों को भूमि के बदले भूमि नहीं दी गई वरन् उन्हें मुआवजा राशि 5,50,000रु दे दी गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अनुसूचित जनजाति का हर त्यौहार धरती या फसल से जुड़ा रहता है यदि उनके पास भूमि ही नहीं रहेगी तो उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। भूमि ही अनुसूचित जनजाति की पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भूमि नहीं रहने की स्थिति में आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र पाने में भी दिक्कत होगी। श्री वैश्य, प्रमुख सचिव ने बताया कि थांदला खजूरी के पास एक फार्म में विस्थापित अनुसूचित जनजाति को बसाने का कार्य आरंभ किया गया था किंतु उन्होंने इस भूमि को लेने से इंकार कर दिया। आज इस भूमि पर राज्य शासन द्वारा एक कृषि फार्म विकसित किया गया है जिससे अच्छी पैदावार प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर के पास बाबई गांव में भी जमीन विस्थापित अनुसूचित जनजाति को दिखाई गई थी जो उन्होंने नहीं ली आज उस जमीन पर बासमती चावल की पैदावार की जा रही है। उन्होंने आयोग को आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश राज्य के विस्थापित अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए लैण्ड बैंक में उपलब्ध भूमि पर विस्थापित अनुसूचित जंनजाति की मर्जी के अनुसार भूमि दे दी जाएगी।

**8.6 पुनर्वासित की पुरानी बसाहटों मे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के स्थानों पर मूलभूत आवश्यकताओं को जारी रखने हेतु सुझाव :–**

अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन को जिला धार की तहसील कुक्षी में स्थित चिखलदा, निसारपुरा तथा कड़माल ग्राम की स्थिति के बारे में रह रहे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परिवारों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। दिनांक 27.09.2016 को इन ग्रामों में जाकर भ्रमण किया था तथा वहां की वर्तमान समस्याओं की जानकारी ली थी तथा पाया कि इन स्थानों पर पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल तथा स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां के स्थानीय लोगों ने आयोग को बताया कि जबसे पुनर्स्थापित करने का आदेश आया है उसके पश्चात ऐसे स्थानों पर विकास तथा पूर्व से स्थापित सुविधाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि बंद कर दी गई है जिसके कारण यहां विकट स्थिति हो गई है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि वे कड़माल के शासकीय माध्यमिक विद्यालय मे गए थे। विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में था जिसमें बालक बालिकाएं पढ़ रहे थे। विद्यालय में फर्नीचर,



रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पानी, शौचालय, पंखे तथा अध्यापकों की संख्या का अभाव था। श्री वैश्य प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आयोग को सूचित किया कि जो पुरानी बसाहटें हैं वहां पर नवीन निर्माण बंद कर दिए गए हैं। वे स्थान जो अभी तक डूब में नहीं आए हैं वहां से अनुसूचित जनजाति के लोग विस्थापित नहीं हुए हैं। वे अपनी पुरानी बसाहटों में ही वर्तमान में ही निवासित हैं जबकि उनके लिए नए पुनर्वास हेतु स्थान विकसित कर दिए गए हैं। चूंकि अभी यह परिवार नए स्थानों में स्थांतरित नहीं हुए हैं इसलिए नए स्थानों पर भी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हो सकती है। कलेक्टर धार ने भी इस विषय मे बताया कि जो क्षेत्र डूब क्षेत्र के लिए चिन्हित कर लिए गए हैं उन पर शासन के आदेशानुसार कोई नया निवेश नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने शासन को यह सुझाव दिया कि वे स्थान जहां पर विस्थापित अनुसूचित जनजाति मूल स्थान पर ही रह रहे हैं उन स्थानों की मूलभूत आवश्यकताओं को सुविधाजनक रूप से चलते रहना दिया जाना उचित होगा। कुछ स्थानों पर तो शासन ही यह मान रहा है कि वे कभी डूब में नहीं आएंगे। अतः ऐसे स्थानों पर जहां बसाहटें हटी नहीं हैं वहां मूलभूत आवश्यकताएं जारी रखी जाएं तथा आवश्यक नए निर्माण जैसे शौचालय आदि बनाने के लिए उन्हें अनुमति दी जाए।

**8.7 विस्थापित गांव के रहवासियों को बीपीएल में माना जाए :–**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि सभी विस्थापित गांवों के रहवासियों को महाराष्ट्र शासन की तरह बीपीएल में रखा जाए ताकि उन्हें खाद्य सामग्री आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने बताया कि आलीराजपुर जिले के ग्राम ककराना, झण्डाना, भीताड़ा, अंजनबाड़ा, डूबखेड़ा तथा जलसिंधी में शिकायत मिली है कि वहां राशन की दुकाने नहीं खुलती हैं जिसके कारण अनुसूचित जजनातियों को मिलने वाली खाद्य सामग्री से वंचित रहना होता है। श्री वैश्य ने आयोग को बताया कि शासन की योजना के अनुसार 100 प्रतिशत विस्थापित अनुसूचित जनजाति को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है तथा वे इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने सभी मौजूदा कलेक्टरों से अपने अपने क्षेत्रों में इस संबंध में विशेष निगरानी रखने के आदेश भी दिए।

**8.8 पांच साल से विस्थापित परिवार यदि अपने मूल स्थान पर ही रह रहे हैं तो उन्हें भविष्य में विस्थापित न करें :–**

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि कोई अनुसूचित जनजाति पांच साल से अपने मूल स्थान पर रह रहा है जबकि वह विस्थापित घोषित हो चुका है तो उसे विस्थापित न करें। प्रमुख सचिव नर्मदा विकास प्राधिकरण ने बताया कि 01 जनवरी, 2014 को जो परिवार अपने मूल स्थान पर रह रहे हैं और वे विस्थापित घोषित हो चुके हैं उन्हें विस्थापित नहीं माना जाएगा, ऐसा शासन के आदेश हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रब्युनल के आदेश के अनुसार जब तक विस्थापितों के मूल स्थान पर पानी नहीं भर



डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जाता उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा। वे अपनी उस मूल जमीन पर कब्जा बनाए रख सकते हैं।

**8.9 क्रेता–विक्रेता–दलाल से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायलय में न्यायधीन प्रकरणों के संबंध में :–**

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि क्रेता–विक्रेता एवं दलाल के 999 प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायलय में विचाराधीन हैं। इन प्रकरणों के अलावा भी ऐसे कई विस्थापित अनुसूचित जनजाति हैं जो अपनी जमीन भी खो चुके साथ उन्हें मुआवजे के तौर पर प्राप्त होने वाली जमीन भी नहीं मिली। शासन की यह जिम्मेदारी है कि वे उन दस्तावेजों की जांच करें जो जमीन के सौदे से जुड़े हुए थे। यदि यह जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा मुस्तैदी से निभाई गई होती तो अशिक्षित अनुसूचित जनजाति अपनी जमीन से वंचित नहीं होते और न ही ऐसे प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होते। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे प्रकरणों को यदि सीबीआई में दे दिया जाए तो न्याय की संभावना जल्द हो सकेगी। श्री वैश्य ने बताया कि ऐसे प्रकरण सीबीआई में पहले ही चले गए हैं। W.P. No. 14765/2007 (PIL) दिनांक 16.02.2016 के निर्णय के अनुसार जांच तथा अन्वेषण हेतु ऐसे प्रकरण सीबीआई को दिए जाने के आदेश दिए हैं। **अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि माननीय 'झा' आयोग की रिपोर्ट में दी गई अनुशंसाओं का पालन मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए, जिसमें मुख्यतः विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन देने तथा फर्जी सौदों के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अंकित है। आयोग का मानना है कि सभी पदाधिकारी जिन्होंने बिना जांच किए चैक बांटे हैं, उनकी सहभागिता इस मामले में अवश्य है।**

**8.10 विस्थापित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में मछली पालन समिति का निर्माण करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में :–**

आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज्य शासन के अधिकारियों से डूब क्षेत्र से लगे हुए अनुसूचित जनजाति लोगों को मछली पालन समिति का निमार्ण किए जाने में शासन की सहायता करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वे विस्थापित जो भूमिहीन थे अथवा मछली पकड़ना जिनका व्यवसाए था अथवा जिनकी 25 प्रतिशत भूमि डूब में नहीं आई थी, जिसके कारण उनको भूमि का मुआवजा भी नहीं प्राप्त हुआ है उनके जीविकोपार्जन हेतु उन्हें मछली पालन का प्रशिक्षण देते हुए स्थानीय समितियों का निर्माण किया जाए ताकि वे मछली बेचकर अपना जीवन–यापन कर सकें। यह काम कॉओपरेटिव के अंतर्गत होने से वे इस व्यवसाए के समान अधिकारी होंगे। शासन की ओर से आयोग को बताया गया कि वर्तमान में समितियों का निर्माण ही किया गया है जिसे जल्दी ही किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि शासन की यह



रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

योजना है कि नर्मदा नदी पर निर्मित सभी बांधों में कॉओपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ही मछली का उद्योग होगा।

**8.11 शासन द्वारा विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने के आंकड़ों में जीरो बैलेन्स:–**

अध्यक्ष महोदय ने शासन से पूछा कि विस्थापितों को पुनर्स्थापित करने के लिए शासन द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोई भी परिवार अब पुनर्स्थापित होने के लिए शेष नहीं है। जबकि आयोग के दौरे से यह ज्ञात हुआ है कि ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनको पुनर्स्थापित होने की प्रक्रिया से वंचित होना पड़ा है। ऐसे में सरकार द्वारा जीरो बैलेन्स कैसे दिखा दिया गया है। शासन द्वारा आयोग को बताया गया कि पुनर्स्थापन की सूची में आए हुए सभी परिवारों को मुआवजा राशि अथवा भूमि दी जा चुकी है। ऐसे भी परिवार हैं जो डूब क्षेत्र में नहीं आए हैं और उन्हें मुआवजा राशि भी प्राप्त हो चुकी है। अधिकतर पुनर्वासित गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं दी जा चुकी हैं। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय के उपरांत ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई हो जाएगी।

**8.12 विस्थापित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान संस्थान:–**

अध्यक्ष महोदय ने विस्थापित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कृषि अनुसंधान संस्थान बनाए जाने का सुझाव दिया जिससे आस–पास के क्षेत्रों में अच्छी कृषि लेकर अनुसूचित जनजाति अपने आय के स्तर को बढ़ा सकें। शासन की ओर से आयोग को अवगत कराया गया कि सभी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर ब्लॉक स्तर पर कार्यवाही करते हैं। वे प्रत्येक ब्लॉक से मिट्टी ले जाकर लैब में परीक्षण करते हैं तथा कृषकों को उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देते हैं। श्री वैश्य नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया कि झाबुआ जिले में सिंचाई के साधन आने से गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है धान भी पैदा होने लगा है। हमारा उद्देश्य है कि यहां के स्थानीय कृषक एक फसल के स्थान पर दो फसल प्रति वर्ष लें ताकि वे कृषि स्तर पर उन्नत हो सके।

**8.13 अतिक्रमित भूमि पर गैर कानूनी रूप से काबिज लोगों द्वारा विस्थापितों को आवंटित भूमि से भगाए जाने के विषय में :–**

आयोग के प्रवास के दौरान यह शिकायत सभी जिलों के विस्थापित अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त हुई है कि कुछ स्थानों पर विस्थापित अनुसूचित जनजातियों को आवंटित भूमि पर पूर्व से ही अवैधानिक रूप से लोगों को कब्जा था। जब यह भूमि विस्थापित अनुसूचित जनजाति को आवास एवं खेती के लिए आवंटित की गई तो वे इस भूमि से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने विस्थापित अनुसूचित जनजाति के



रामेश्वर ओरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

साथ मार–पीट की एवं उनकी खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। जिसके कारण अब ऐसे पीड़ित अनुसूचित जनजाति पुनर्वासित स्थल पर जाने को तैयार नहीं हैं। आयोग ने इस समस्या के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु राज्य शासन को कहा। श्री वैश्य, प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने श्रीमती पंत, निदेशक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को तथा संबंधित जिला कलेक्टरों को आदेश दिए कि ऐसे स्थानों पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ खेती कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि एक मौसम की खेती यह विस्थापित परिवार कर लेंगे तो अतिक्रमण–कारी अपना अधिकार छोड़ देंगे।

### 8.14 मलेरिया, सिलिकोसिस तथा सिकल सेल एनीमिया के विषय में :–

आयोग को तीनों जिलों में ही मलेरिया, सिलिकोसिस तथा सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पाने की शिकायत प्राप्त हुई। इस विषय पर उच्च अधिकारियों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आदिवासियों को बीमारी का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, उनके शरीर में सिलिकोसिस तथा सिकल सेल एनीमिया हो जाने के कारण उनकी आयु घट जाती है एवं कार्य करने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में यदि समय पर इन बीमारियों की पहचान हो जाए तो उन्हें इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। शासन ने आयोग को आश्वासन दिया कि वे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में इन बीमारियों के इलाज हेतु समुचित व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों से कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी देश के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता हुई है, चाहे यह भूमि किसी बड़े प्लांट को बनाने के लिए, खदानों को खोदने के लिए, वन संरक्षण के लिए अथवा बांध बनाने के लिए ली गई है तो उस भूमि का स्वामी अनुसूचित जनजाति ही रहा है जो जंगल पहाड़ में रहने वाले हैं। आज तक के अनुभव में अनुसूचित जनजाति अपने को ठगा सा महसूस करता है। ऐसे भूमि अधिग्रहणों से आदिवासियों की विशेष प्रगति नहीं हो पाती तथा वह विकास की प्रक्रिया की धारा से अलग हो जाते हैं। सरदार सरोवर बांध के पुनर्विस्थापित अनुसूचित जनजातियों की जीवन स्तर की दशा देखकर ऐसा अनुभव हुआ कि वे विगत 30 वर्षों में 30 वर्ष पीछे हो गए। उनका विकास रुक गया है। अनुसूचित जनजाति की पहचान जमीन ही है। यदि हम अनुसूचित जनजाति को समस्या को समस्या ना मानकर समाज की एक 'इकाई' मानेंगे तभी हम उनके उत्थान हेतु कर रहे प्रयासों में सफल हो सकेंगे।

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग द्वारा विभिन्न जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों एवम् अन्य प्राप्त सामग्री की जानकारी जिले वार इस प्रकार है:–

1. जिला धार, मध्यप्रदेश

| क्र . | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री रिंकु गवली | सालखेडा कुक्षी, जिला धार | आदिवासी छात्रावास को नष्ट करने पर रोक लगाने एवम् छात्रों के निवास का प्रबंध कराने बाबत् |
| 2. | श्री लक्ष्मण एवम् अन्य साथियों द्वारा | वि. ख. कुक्षी, जिला धार | आरक्षित आदिवासियों के हितार्थ विशेष आवंटित बजट राशि के निर्माण कार्यो में फर्जीवाडा व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी व कर्मचारियों की सेवाऐं समाप्त कराने एवं अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराने के आदेश बाबत् |
| 3. | श्री बुदा पिता कनसिंह | ग्राम तालनपुर तह. कुक्षी, जिला धार (म. प्र.) | प्रार्थी कृषक की खड़ी फसल नष्ट कराने वाले ठेकेदार जे. सी. सी. मशीन संचालक के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने एवम् उसकी मशीन जप्त करने बाबत् |
| 4. | श्री बुदा पिता कलसिंह | लालनपुर तहसील कुक्षी, जिला धार | न्याय से वंचित कराने पर रोक व प्रताड़ितकर्ता आरोपियों के खिलाफ अ. ज. जा. अत्याचार अधिनियम् के तहत प्रकरण दर्ज कराने बाबत् |
| 5. | श्रीमती केजु निंगवाल | ग्राम झडदा तह. कुक्षी, जिला धार (म. प्र.) | पीड़ित प्रार्थनी को परिवेषक, कार्य एवं अधिकारी द्वारा प्रताडना पर रोक एवं सुरक्षा प्रदान करने बाबत् |
| 6. | श्री रमेश देसाई (सरपँच) | ग्रम नीमथल तह. कुक्षी, जिला धार | ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य हेतु राशि प्रस्तावना अनुसार स्वीकृत कराने व निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के संबंध में । |
| 7. | श्री बुदा पिता मानसिंह | तालनपुर, जिला धार | आदिम जनजाति कल्याण विभाग म.प्र. बालक छात्रावास नष्ट कराने रोक व जमीन पर अन्य उपयोग पर रोक लगाने बाबत् |
| 8. | श्री महेन्द्र सिंह भिडें | सिल कुआ तह. उही, जिला धार (म. प्र.) | चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश कराने बाबत् |
| 9. | श्री मनीशा अलावा (वरिष्ठ अध्यापक) | शा. बा. उ. मा. विद्यालय, केसूर, जिला धार (म. प्र.) | कार्यस्थल कर महिला के साथ श्री स्मृतिरत्न मिश्र द्वारा अभद्र व्यवहार एवं जातिगत भेदभाव कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने बाबत् |
| 10. | श्री कुलसिंह | मनावर, जिला धार | कन्या परिसर भवन निर्माण की स्वीकृति बाबत् |
| 12. | श्री मोहन भगवान जी पाटीदार एवम् अन्य सभी साथियों द्वारा | ग्राम भवरिया, तहसील कुक्षी, जिला धार | सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के संबध में |
| 13. | श्री रमेश देसाई | ग्राम निमथल तह. कक्षी, जिला धार | संविधान के छठी अनुसूची लागू कराने व आदिवासियों के मौलिक अधिकारो |



रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| | | | के लगातार हनन करने पर रोक के बाबद् |
| 14.<br>15. | श्री जगदीश पिता मंगु<br>श्री जनपत पंचायत कुक्षी एवम् अन्य साथियों द्वारा | निवास चिलवा तह० कुक्षी, जिला धार<br>ग्राम पंचायत निम्नथल ज० प० कुक्षी, तह० कुक्षी जिला धार | आदिवासी छात्रावास में छात्रों को भूखे मारने वाले छात्रावास अधीक्षक श्री जितेन्द्र गढ़वाल, बी० इ० ओ० श्री यादव के खिलाफ अ०ज०जा० अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराने बाबत्<br>ग्रामीण आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के हनन पर रोकथाम व सामन्य वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही बाबत् |
| 15. | श्री जनपत पंचायत कुक्षी एवम् अन्य साथियों द्वारा | ग्राम पंचायत निम्नथल ज० प० कुक्षी, तह० कुक्षी जिला धार | ग्रामीण आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के हनन पर रोकथाम व सामन्य वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही बाबत् |
| 16. | श्री रमेश दिसाई | ग्राम निमथल तह० कुक्षी, जिला धार | जिला लोक कल्याणकारी शिविर ग्राम पंचायत नियम व आयोजित कराने के आदेश बाबत् |
| 17. | श्री बुदा पिता कनसिंह | तालनपुर तह० कुक्षी, जिला धार | पीडित प्रार्थी कृषक को प्रताड़ना पर रोक लगाने एवम् आरोपियों के विरूद्व अ0 ज0 जा0 के तहत कार्यवाही करने बाबत् |
| 18. | श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल | तहसील कुक्षी, जिला धार | कुक्षी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के मूलभूत सुविधा विहीन पुर्नवासस्थल एवं विस्थापितों के लंबित मुआवजों की ओर ध्यानाकर्षण । |

2. **जिला आलीराजपुर (म० प्र०)** :

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मुन्ना पिता रफी, | ग्राम ककराना तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर, म० प्र० | गुजरात में पुनर्वास करने बावत् – जीं आर ए प्रकरण क्रमांक शि० नि० प्रा० /2015 |
| 2. | श्रीमती खुकडी बाई, आंगनवाडी | ग्राम ककराना, पंचायत ककराना, तहसील सोड़वा जिला अलीराजपुर | आंगनवाडी भवन दिलाने के विषय में। |
| 3. | श्री तिन्छिमा – लालसिंह – महलगाँव | ककराना, जिला आलीराजपुर | गाँव की आर्थिक समस्या का निवारण करने हेतु |
| 4. | श्री धुधरिया पुनिया एवम् अन्य साथी | कुकडिया जिला, आलीराजपुर | भू–अर्जन में छूटी हुई जमीन जो कि डूब से प्रभावित हो रही है, लेकिन उन्हे डूब प्रभावित मान्य नही किया जा रहा है, का पुनः सर्वे कर उनका अधिग्रहण कर पुनर्वास का लाभ प्रदान करने का आदेश पारित करवाने बावत् |
| 5. | श्री भंगा रतनीय | पोस्ट वालपुर, तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर म० प्र० | प्रार्थी का नाम सरदार सरोवर सूची में है, परन्तु उसका पुर्नावास गुजरात में नहीं किया जा रहा हैं |
| 6. | श्री जय आदिवासी युवा शक्ति | तहसील जिला, आलीराजपुर | अनुसूचित जाति/ जनजाति के |



रामेश्वर उरांव

डा० रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| | | | रिक्त पद भरने बाबत् |
| 7. | श्री गेंदालाल मांगीलाल राठोर | ग्राम ककराना, जिला आलीराजपुर | ग्राम खजुरी में कब्जा प्राप्त करने बाबत् |
| 8. | श्री गीलदार कोलू | ग्राम कुलवट, तहसील सोडवा, जिला आलीराजपुर | पारित अवार्ड 25 प्रतिषत से कम डूब प्रभावित बताकर मेरा पुनर्वास नही किया जा रहा। |
| 9. | श्री किरता पिता बालजी एवम् अन्य 67 साथियों द्वारा | ग्राम भेडवा, पोस्ट वालपुर तहसील सोंडवा, जिला–आलीराजपुर | जमीन नहीं मिलने बाबत् |
| 10. | श्रीमती अयोध्या बाई | ग्राम रोली गाँव विकास खंड सोंडवा, जिला आलीराजपुर | पुनर्वास नीति अनुसार राशि दिलाने बाबत् |
| 11. | श्री चंद्रशेखर राठौर | ग्राम रोली गाँव तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | भूखण्ड दिलाने बाबत् |
| 12. | श्री भीम सिंह, शंकर लाल राठौर | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | आवंटित भूखण्ड पर पुनर्वास करने बाबत् |
| 13. | श्री नीमजी गोरिया एवम् अन्य साथी द्वारा | ग्राम ककराना, तहसील सोंडवा जिला आलीराजपुर | 26, गाँव सरदार सरोवर, बांध से प्रभावित है इसका निवारण करने हेतु |
| 14. | मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवम् कर्मचारियो संघ | जिला कार्यालय 11/1 फतहकल्ब रोड चारबुजा होटल के पीछे, जिला आलीराजपुर | उच्च नायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 30.04.2016 के संबंध पदोन्नति नियम 2016 बनाऐ जाने तथा अन्य मांगों की पूर्ति के सम्बंध में |
| 15. | श्री दिनेश पिता बल्लू माझी | निवासी पटेल फलिया, ग्राम ककराना, तहसील सोंडवा, जिला अलीराजपुर | प्रार्थी को गुजरात में भूमि व भूखण्ड आवंटन करने बाबत् |
| 16 | श्री खुमसिंह | गाँव धयाना जिला, आलीराजपुर | सिलिकोसिया बिमारी से प्रभावित आदिवासियों के सबंध में |
| 17. | श्रीमती वालकी बेवा रंगु | बेहडवा पोस्ट वालपुर तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर जिला | प्रार्थी को गुजरात राज्य में कृषि भूमि व अन्य पुनर्वास लाभ दिलाने हेतु हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करने के लिऐ सहायता दिला कर लाभ दिलाने बाबत् । |
| 18. | श्री खेमा पिता वेस्ता | तहसील आलीराजपुर, जिला आलिराजपुर | जोबट बांध के डूब क्षेत्र में आऐ 13 आदिवासी गाँव की हकीकत बताने बाबत् |
| 19. | श्री झेतु पिता देसिंग | ग्राम उन्दा, तहसिल जोबट, जिला आलीराजपुर | विस्थापित आदिवासी प्रार्थी के सहमति एवं जानकारी के विरूद्व आवंटित मुआवजा राशी नियमानुसार वापिस कर, पुर्नवास नीति और सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार सिंचित कृषि–योग्य, उपयुक्त जमीन एवं भू–खण्ड का आवंटन करने बाबद । |
| 20. | श्री वेस्ता पिता अमनसिंग | ग्राम उन्दा, तहसिल जोबट, जिला आलीराजपुर | ग्राम उन्दा, तहसिल जोबट, जिला आलिराजपुर |
| 21. | श्री लालसिंह पिता पहाडसिंह | ग्रम बेहड़वा, तहसील व जिला अलीराजपुर | भूमि के बदले में भूमि मिलने बाबत् |
| 22. | श्री नाम उगरसिंह पिता भागत्या | ग्राम वास्केल तहसील जोबट, जिला आलीराजपुर | कृषि भूमि का मुआवजा मिल गया है परन्तु कृषि भूमि में स्थित वृक्ष (पेड) |



डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| | | | का मुआवजा दिलाने बाबत् |
| 23. | श्री खेमा डुंगर सिंह | जोबट तहसील एण्ड टाऊन, आलीराजपुर | पुनर्वास जोबट में रहने वाले 13 गाँव के आदिवासियों को बसाने बाबत् |
| 24. | श्री शब्बीर दशरीया एवम् अन्य साथियों द्वारा | तहसील सोंडवा विकास खण्ड सोंडवा, जिला आलीराजपुर म० प्र० | पिता को गुजरात में विस्थापित किया गया किन्तु उनकी पुत्री को लाभ नही दिये जाने बाबत् |
| 25. | श्रीमती मंजु बाई | ग्राम–सुगट तहसील–सोण्डवा, जिला अरलीराजपुर | फर्जी बीपीएल कूपन लगा कर मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकार्ता का पद हड़पा गया जिसकी जॉच कर उचित कार्यवाही करने के संबंध में । |
| 26. | रेषिया पिता सैकड़िया | निवासी सोंडवा, जिला आलीराजपुर | आलीराजपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार श्री खतेड़िया द्वारा अभद्र व्यवहार एवं धमकी देने के संबंध में |
| 27. | श्री देवला पिता सुरतान व सुकलाल पिता सुरतान | ग्रम बेहड़वा पोस्ट वालपुर तहसील व जिला आलीराजपुर | हम विस्थापित अतिक्रमक को पुनर्वास निति के अनुरूप गुजरात राज्य में पुनर्वास लाभ दिलाने विषयक |
| 28. | श्री महन्त रमेशगिरी | ग्राम ककराना, जिला आलीराजपुर | ग्राम ककराना में स्थित वैद्यनाथ धाम शिव मंदिर के डूब प्रभावित होने से इसका मुआवजा दिये जाने बाबत् |
| 29. | श्री कुलवत | तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 30. | श्री वेस्ता पिता नुरला | तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 31. | श्री पारिया पिता कोटवाल | तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 32. | श्री कारला पिता दषरीया | तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 33. | श्री कुलजरी पिता श्री गुलाब माता श्रीमती नटी | तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 34. | श्री लालमान पिता श्री गुलाब माता श्रीमती नट्टी | तहसील सोण्डवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 35. | श्री भलसिंह पिता श्री देआ माता श्रीमती बउदी | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 36. | श्री हरी पिता गल्लु | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 37. | श्री रेमला पिता श्री गुलाब माता श्री वान्दली | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 38. | श्री रामला माता श्रीमती भंगुडी पिता श्री प्रेमसिंह | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 39. | श्रीमती चमारीया माता श्रीमती सारली पिता भुरसिंह | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 40. | श्री जीवल सिंह माता श्रीमती रजली पिता लालसिंह | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 41. | श्री हीरा लाल माता श्रीमती कारली पिता श्री रमेष | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 42. | श्री सयाराम माता श्रीमती झिनली पिता श्री सादिया | ग्राम ककराना तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |



डा० रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| 43. | श्री मजान पिता नुरला | तहसील सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने संबंध |
| 44. | श्री जब्बर सिंह पिता रामसिंह | ग्राम पंचायत ककराना त० सोंडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् |
| 45. | श्री सबरीया पिता रामसिया | त० सोडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् |
| 46. | श्री फदलिया पिता रामसिया | त० सोडवा, जिला आलीराजपुर | जन्म प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् |
| 47. | श्री भू–अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी | सरदार सरोवर परियोजना, आलीराजपुर म० प्र० | आदेश आवासीय भूखण्ड आंवटन श्रीमान रमेशचन्द्र मांगीलाल |
| 48. | श्री गोखरू पिता मांगला एवम् अन्य साथियों द्वारा | ककराना तहसील सोण्ड़वा, जिला अलीराजपुर म० प्र० | पुनर्वास नीति, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अनुसार पुर्नवास हेतु |

3. **जिला – बड़वानी (म० प्र०)**

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति – जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ | जिला बड़वानी (अजाक्स) | 18 सिमम्बर 2016 को भोपाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जन जाति युवा संघ मध्य प्रदेश के युवाओं पर पुलिस द्वारा किये गये बर्बरता पूर्ण लाठीचार्ज तथा उनकी संवैधानिक मांगों के संबंध में |
| 2. | श्रीमती सेवंतीबाई भाबर | ग्राम ओझर तह० राजपुर, जिला बड़वानी | गाँव के दबंगों द्वारा घर पर आकर मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में |
| 3. | आदिवासी जयस नारी शक्ति | जिला बड़वानी | आदिवासी महिलाओं के ग्राम सभा आयोजित करने के अधिकार प्रदान करने बाबत् |
| 4. | श्रीमती रामीबाई पति शिवराम नरगावें | ग्राम–पाल्या तह०, जिला बड़वानी (म० प्र०) | ग्राम – मगरघाटी में बिजली, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल एवं रोड आदि सुविधा देने बावद । |
| 6. | श्रीमती धनुबाई बेवा उमरसिंह | नन्दगाँव, जिला बड़वानी | माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका क्र० 2168/2016, 2164/2016 एवं 7840/2015 में अंतिम निर्णय पारित होने तक आवेदनकर्ता की शिकायत लंबित रखने और कोई भी नगद भुगतान नही करने बाबत। |
| 7. | श्री हरासिग जमरे | जागृत आदिवासी दलित संगठन, जिला बड़वानी (म० प्र०) | विभिन्न समस्याओं का समाधान करने बाबद् |
| 8. | आरक्षण बचाओ – संविधान बचाओ समिति | आदिवासी विश्रामालय महिला अस्पताल के पीछे, बड़वानी, जिला बड़वानी जिला बड़वानी, म0 प्र0 | जिला चिकित्सालय बड़वानी में पदपूर्ति एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने बाबद |
| 9. | श्री प्रकाश बन्डोड़ (प्रदेश उपाध्यक्ष्य) | आदिवासी छात्र संगठन, जिला बड़वानी म0 प्र0 | बड़वानी जिले में अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की समस्याओं के संबंध में |
| 10. | श्री तुकाराम जाधव एवम् अन्य छात्र | जिला बड़वानी म0 प्र0 | DCA तथा PGDCA मेट्रिक डिप्लोमा माखनलाल चतुर्वेदी, छात्रावास मरम्मत, खिड़की में जाली, कम्प्युटर लैब, |



डा० रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

| क्र ० | अभ्यावेदन कर्ता का नाम | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| | | | पुस्तकालय, जिम, खेल सामग्री, मेस की राशि बढ़ाने हेतु, बाउंड्रीवाल, पानी की टंकी की मरम्मत की जाने के संबंध में |
| 11. | श्री टी॰ सी॰ ठाकुर | न॰ वि॰ सं॰ क्र॰ 11 बड़वानी | प्रति नियुक्ति पर आवेदन पत्र सम्बन्ध में |
| 12. | श्री तारा चन्द | जिला बड़वानी | मुझे मकान मुआवजा और घर प्लॉट के साथ पुर्नवास लाभ प्रदान करने बाबद् |
| 13. | श्री मांगीलाल पिता माछीया | ग्राम सोन्दुल तह॰, जिला बड़वानी | सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापितों को भूखण्ड के बदले नगद राशि दिलाने बाबत् |
| 14. | श्री कल्या पिता गणस्या एवम् अन्य साथियों द्वारा | ग्राम बिरलाई, जिला बड़वानी | फर्जी रजिस्ट्री करने वाले पटवारी के खिलाफ कार्यवाही किये जाने बाबद |
| 15. | श्री अजयसिंह ठाकुर, रोगी कल्याण समिति, बड़वानी | जिला बड़वानी | जिला चिकित्सालय बड़वानी में रोगी कल्याण समिती द्वारा चिकित्सा सुविधाओं कि बढाई गई दरो के ज्ञापन के संबंध में । |
| 16. | श्रीमती रामीबाई शिवराम | ग्राम – पाल्या तह॰, जिला बड़वानी (म॰ प्र॰) | ग्राम – मगरघाटी में बिजली, राशन कार्ड, आंगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल एवं रोड आदि सुविधा देने बावत। |
| 17. | श्री रामलाल पि॰ जलाल | ग्राम नंदगाँव, तहसील एवं जिला बड़वानी | माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिका क्र॰ 2168/2016, 2164/2016 एवं 7840/2015 में अंतिम निर्णय पारित होने तक आवेदनकर्ता लंबित रखने और कोई भी नगद भुगतान नही करने बाबत । |
| 18. | श्री भरत पिता दामा | निवासी छोटा बड़दा तह॰ अंजड़, जिला बड़वानी | मेरे मकान का आज तक सर्वे नही किया गया है उसका सर्वे करवा कर उचित मुआवजा दिलावाया जाने बाबत् |
| 19. | श्री सुरसिंग पिता गुमाल | छोटा बड़दा तह॰ अंजड, जिला बड़वानी | मेरे मकान का आज तक सर्वे नही किया गया है उसका सर्वे करवा का उचित मुआवजा दिलवाया जाने बाबद् । |
| 20. | अधीक्षिका बड़वानी छात्रावास क्र॰ 2 | बड़वानी छात्रावास क्र॰ 2 | विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने बाबत् |
| 21. | आदिवासी जयस नारी शक्ति बड़वानी | जिला बड़वानी | आदिवासी महिलाओं के ग्राम सभा आयोजित करने के अधिकार प्रदान करने बाबद् |
| 22. | श्री रूखहुसिंह मुवेल | विधानसभा क्षेत्र मनावर, जिला–धार (म॰ प्र॰) | विकास खण्ड उमखन में कस्तूरबा गांधी कन्या आश्रम से वार्डन को हटाने बाबत् |
| 23. | श्री राजाराम वास्कले (प्राचार्य) | शा॰ कन्या उ॰ मा॰ वि॰ बड़वानी जिला – बड़वानी | वरिष्ठ प्राचार्य को आहरण संवितरण अधिकार विषयक |
| 24. | श्रीमान कमल यादव एवम् अन्य साथियों द्वारा | नवलपुरा, जिला बडवानी – 451551 | सरदार सरोवर से लाखों का विस्थापन, नर्मदा घाटी का विनाश रोकने बाबत् |



डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. **सरदार सरोवर नर्मदा घाटी से जुडी अन्य जानकारी**

| क ॰ | विवरण | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | नर्मदा नियत्रण प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय | जिला धार, बडवानी, आलीराजपुर | वार्षिक रिपोर्ट 2012–13 एवम् स्टेटस रिपोर्ट, जून 2015 |
| 2. | सरदार सरोवर परियोजना | जिला धार, बडवानी, एवं आलीराजपुर | सरदार सरोवर बांध की 121.92 मीटर उंचाई पर म0 प्र0 पुर्नस्थापन व पुनर्वास स्थिति (एन॰ सी॰ ए॰ रिपोर्ट के अनुसार) |
| 3. | सरदार सरोवर परियोजना | जिला धार, बडवानी, एवं आलीराजपुर | स्टेटस रिगार्डिंग जमीन की रजिस्ट्री व क्रय द्वारा एस॰ आर॰ पी॰ |
| 4. | आयुक्त (पुर्न / फील्ड) | नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर | जोबट परियोजना क्रंमाक 36937/10 में अतिरिक्त विभागीय प्रतिवेदन करने बाबत् |
| 5. | श्री मदनलाल | नर्मदा बचाओं आंदोलन, जिला अलीराजपुर | प्रधानमंत्री से प्राप्त जवाब (मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिर्सोस), दिल्ली |
| 6. | श्री न्याय मूर्ती (ऐ॰ के॰ शर्मा) | षिकायत निवारण प्राधिकरण इंदौर (म॰ प्र॰) सरदार सरोवर परियोजना | आयोग द्वारा दिये गये आदेष के संमंध (श्रीमती घुचरी बाई बेवा, पति मांगला, तह॰ बडवानी |
| 7. | श्रीमान् न्यायमूर्ती एस॰ पी॰ खरे, अध्यक्ष | सरदार सरोवर परियोजना षिकायत निवारण प्राधिकरण, म॰ प्र॰ | आदेष विरूद्व श्रीमती कालीबाई बेवा कानिया, निवासी ग्राम – रोलीगाँव, तहसील व जिला – अलिराजपुर |
| 8. | श्रीमान् न्यायमूर्ती एस॰ पी॰ खरे, अध्यक्ष | सरदार सरोवर परियोजना षिकायत निवारण प्राधिकरण, म॰ प्र॰ | आदेष विरूद्व श्री गणेष पिता लक्ष्मण निवासी ग्रम – भीलखेडा तहसील व जिला – बड़वानी |
| 9. | श्रीमान् अमूल्य निधि मोहन सुलिया, राकेष शास्त्रीय (ग्राम) कमल अवास्था | जिला अलीराजपुर, झाबुआ, धार , म॰ प्र॰ | सिलिकोसिस के पीडितों के संमंध में पूर्ण जानकारी (2015–16) |
| 10. | श्री सी॰ ई॰ लोआर्ड | जिला बडवानी | जिला बडवानी से संम्बिधित सम्पूर्ण जानकरी |
| 11. | नर्मदा बचाओ आंदोलन | बडवानी एवं अलीराजपुर | नकषे द्वारा नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना की जानकारी |
| 12. | नर्मदा बचाओ आंदोलन | बडवानी एवं अलीराजपुर | फोटोग्राफस द्वारा नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना की जानकारी |
| 13. | नर्मदा नवनिर्माण अभियान श्रीमान लतीख राजपुत एवम् अन्य सहयोगी द्वारा | मुम्बई – 400 005 | सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना के सम्बंध में |
| 14. | नर्मदा बचाओ आंदोलन | जिला – धार, ग्रम – पेरखड, ग्राम कवठी, तहसील मनावर, जिला – धार | सर्वोचय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी बाबत् |
| 15. | आयुक्त (पुर्नवास/फीस) नर्मदा घाटी | नर्मदा घाटी, विकास प्राधीकरण इंदौर, स्कीम न॰ 74 बी॰ जी॰ सेक्टर विजय नगर, इंदौर | जी॰ आर॰ ऐ॰ प्रकरण क्र॰ 375/12 में विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत बाबत् |
| 16. | श्रीमान न्यायाधीष एस॰ एस॰ झा॰ (अध्यक्ष) जाँच कमीषन इंदौर | सरदार सरोवर प्राजेक्ट, इंदौर | सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, फेक सेल डीड्स एण्ड पुर्नवास स्थल की जाँच कमीषल इंदौर म॰ प्र॰ |
| 17. | नर्मदा बचाओ आंदोलन | जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र – 425414 | नर्मदा, सरदार सरोवर बांध में मध्यप्रदेष, महाराष्ट्र, गुजरात के डूब क्षेत्र की जानकारी |
| 18. | सुश्री मेघा पाटकर | नर्मदा बचाओ आंदोलन अलिराजपुर व जोबट (म॰ प्र॰) | आदिवासी विस्थापितों के हित में म॰ प्र॰ शासन की पुलर्वास नीति की कंडिका 5.1 के उल्लंघन पर आयोग का ध्यान आकर्षित कर योग्य कार्यवाही करने के संबंध में |
| 19. | श्रीमान दमड़िया पिता हेंगा, श्रीमान रिसला पिता हेंगा | षिकायत निवारण प्राधिकरण, म॰ प्र॰ (सरदार | प्रकरण क्र॰ 42 /2010 के विरूद्ध आदेष |



रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

S31

| क्र॰ | विवरण | तहसील / जिला | विषय |
|---|---|---|---|
| | | सरोवर परियोजना) | |
| 20. | श्री कुमरिया पिता रेषिया, | ग्राम नेहड़वा जिला अलीराजपुर (म॰ प्र॰) | सरदार सरोबर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा षिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रकरण क्र॰ षि॰ नि॰प्र॰/2000/523 दिनांक 03–05–2001 |
| 21. | श्रीमान राधेष्याम पिता आत्माराम | ककराना तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर | आवासीय भूखण्ड के पट्टे के संबद्ध में |
| 22. | श्रीमान अजय कुमार, उप सचिव जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, दिल्ली | श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली – 110001 | सरदार सरोवर से संबंधित जानकरी |
| 23. | कुमारी मेघा पाटकर अलिराजपुर | अलीराजपुर, म॰ प्र॰ | षिकायत निवारण प्राधिकरण को चेतावनी पत्र के बाबत् |
| 24. | मानकर समाज उथ्थान समीति | मध्य प्रदेश। | मानकर जाति को अनुसूचित जनजाति (एस॰ टी॰) में शामिल करने बाबत् |
| 25. | स्वतंत्र पिप्पुल्स ट्रबनल | मध्य प्रदेश। | चार न्यायधीषों द्वारा स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत् |

रामेश्वर उरांव

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi